

**(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)**  
**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**  
**REVENUE DEPARTMENT, DELHI**

No. F. 1(74)/GA/DC/HQ/2020/243

Dated : 10/02/2026

**NOTIFICATION**

**No. F. 1(74)/GA/DC/HQ/2020:-** In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer the powers of Assistant Collector (Grade-II) upon Sh. Mayank Yadav, Tehsildar, DDA, under the said act so long as he holds the post or till further orders whichever is earlier.

By order and in the name of the Lt. Governor  
of National Capital Territory of Delhi

  
(Rakesh Kumar)

Addl. District Magistrate-I (HQ)

No. F. 1(74)/GA/DC/HQ/2020/243

Dated : 10/02/2026

Copy forwarded for information and necessary action:

1. Deputy Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., New Delhi along with two copies of Notification in English and Hindi with the request for publication in Part-IV Extraordinary Gazette, Delhi.
2. The Director, LM-II, Delhi Development Authority Land Management Coordination A-308, A-Block, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023
3. Official concerned through Director, LM-II, Delhi Development Authority Land Management.
4. The System Analyst, Revenue Department with the request to upload the notification on the website of this department.
5. PA to Secretary (Rev.)-cum-Divisional Commissioner, Revenue (HQ), GNCTD, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
6. Guard filed

  
(Rakesh Kumar)

Addl. District Magistrate-I (HQ)

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
राजस्व विभाग  
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली

संख्या एफ 1(74)/जीए/डीसी/एच.क्यू/243

दिनांक : 10/02/2026

अधिसूचना

संख्या एफ 1(74)/जीए/डीसी/मुख्यालय/2020:- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (अधिनियम संख्या XVII 1887) की धारा 27 की उप धारा (1) केखंड (बी) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा श्री मयंक यादव, तहसीलदार, दिल्ली विकास प्राधिकरण को जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत सहायक कलेक्टर, द्वितीय श्रेणी की शक्तिया प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के  
उपराज्यपाल के आदेश तथा नाम पर

राकेश

(राकेश कुमार)

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट-1 (मुख्यालय)

संख्या एफ.1 (74)/जी.ए./डी.सी/एच.क्यू/243

दिनांक : 10/02/2026

1. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियों अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित।
2. निदेशक, भूमि- II, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 308, ए - ब्लॉक, विकास सदन, आई. एन.ए. नई दिल्ली- 110023।
3. संबंधित अधिकारी को निदेशक, भूमि-II, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई. एन. ए. नई दिल्ली के माध्यम से।
4. प्रणाली विश्लेषक (System Analyst) राजस्व विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस अधिसूचना को इस वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सचिव (राजस्व)/ मण्डला युक्त के निजीसचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।
6. गार्डफाइल।

राकेश

(राकेश कुमार)

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट-1 (मुख्यालय)